पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-I 930

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, पटना ।

फैक्स/ई-मेल

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, पटना ।

पटना, दिनांक 19-03-2026

विषयः- ***नवादा जिला के मौजा-खखन्दुआ में अवस्थित पत्थर भूखण्ड सं0-B से खनिज लदे वाहनों के परिचालन हेतु खुरी नदी में रास्ता निर्माण के लिए अनुमति/ अनापत्ति के संबंध में ।***

प्रसंगः- ***आपका पत्रांक-699 दिनांक-19.02.2026***

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ अंतर्गत नवादा जिला के मौजा-खखन्दुआ में अवस्थित पत्थर भूखण्ड सं0-B से खनिज लदे वाहनों के परिचालन हेतु खुरी नदी में रास्ता निर्माण हेतु वस्तुस्थिति की समीक्षोपरान्त स्थल की स्थिति के अनुरूप निम्नांकित शर्तों के साथ विशेष परिस्थिति में, जिससे कि नदी के जलप्रवाह/तटबंधों/जमीन्दारी बांधों/संरचनाओं/Morphological behavior पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (दिनांक-31.05.2026 तक के लिए) निर्गत करने हेतु मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना को प्राधिकृत किया जाता है:-

1. प्रस्तावित पहुँच पथ के लिए 35 मीटर की लम्बाई में 1-1 मीटर व्यास का ह्यूम पाईप डाला जायेगा । पहुँच पथ ऊँचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 4.5 मीटर होना चाहिए । साथ ही ह्यूम पाईप के उपर कम से कम 1 मीटर की ऊँचाई में मिटटी की भराई किया जाना आवश्यक होगा । उक्त कार्यों को संबंधित विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर कराया जायेगा ।
2. इस पर परिचालन की पूर्ण जवाबदेही संबंधित विभाग की होगी तथा किसी भी तरह की क्षति की जवाबदेही संबंधित विभाग की होगी ।
3. बाढ़ अवधि में परिवहन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा । बाढ़ अवधि के पूर्व इन संरचनाओं को संबंधित विभाग के द्वारा स्वयं के व्यय पर नदी के बेड से हटाया जाना बाध्यकारी होगा ।
4. अस्थायी संरचना के निर्माण से नदी के बहाव में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाय एवं इसे अविरल रखा जाय । इसके लिए नियमित रूप से साफ-सफाई की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।
5. कार्य समाप्ति के बाद स्थल पर बचे सभी प्रकार के अवशेष सामग्रियों को पूर्ण रूप से हटा लिया जाय ।
6. नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जाय ।

7. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा । विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताए विषयांकित कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
8. नदी तट के किसी भी भाग पर आवेदक का स्वामित्व नहीं होगा ।
9. नदी भाग एवं कंट्री भाग में वाहनों के नदी के तट पर चढ़ने एवं उतरने हेतु दोनों तरफ रैम्प का निर्माण करना आवश्यक होगा, जो संबंधित विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा ।
10. रैम्प एवं नदी तट के किनारे को क्षरण से बचाने के लिए नियमित रूप से संपोषण की जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।
11. संरचनाएँ बिल्कुल अस्थायी एवं निजी प्रयोग के लिए है, इसलिए इसकी स्थायित्व एवं मजबूती की संम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।
12. संबंधित विभाग को इस अस्थाई संरचना के दोनो ओर एक-एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि "अस्थायी संरचना, आम लोगों के लिए वर्जित है" ।
13. जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
14. किसी भी अप्रिय घटना के लिए संबंधित विभाग जिम्मेवार होगा ।
15. आपात परिस्थिति में विभागीय पदाधिकारियों के निदेश पर तत्काल अस्थायी संरचना को संबंधित विभाग द्वारा हटाना होगा ।
16. संरचना निर्माण के दौरान पूर्व से निर्मित संरचनाओं आदि को किसी प्रकार की क्षति न हो । क्षति होने पर इसकी मरम्मति की सारी जबावदेही संबंधित विभाग की होगी एवं संबंधित विभाग अपने व्यय से क्षतिग्रस्त भाग का सुदृढ़ीकरण/मरम्मति करने के लिए बाध्य होगा ।
17. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/161/2023-205 दिनांक-20.03.2023 में निहित निदेश के अनुपालन निमित्त CBuD APP (Call before U dig) का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।
18. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक-31.05.2026 तक प्रभावी रहेगा ।
19. उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करते हुए विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

विश्वासभाजन
ह0/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:- बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-I 930 दिनांक:- 19-03-2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

19/3/26
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

En-in-ch., Patna new